



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-यू.पी.-अ.-09032026-270771
CG-UP-E-09032026-270771

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 162]

नई दिल्ली, शुक्रवार, मार्च 6, 2026/फाल्गुन 15, 1947

No. 162]

NEW DELHI, FRIDAY, MARCH 6, 2026/PHALGUNA 15, 1947

भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक

अधिसूचना

लखनऊ, 2 मार्च, 2026

"भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक पेंशन [संशोधन] विनियम, 2026"

मासंविधि सं. 02112/स्टाफ़—भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक अधिनियम, 1989 (1989 का 39) की धारा 52 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक का निदेशक मंडल एतद्वारा भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक पेंशन विनियम, 2002 में निम्नवत संशोधन करता है: —

- (1) इन विनियमों को भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक पेंशन [संशोधन] विनियम, 2026 कहा जाएगा।
(2) इन संशोधनों को 6 फरवरी, 2026 से लागू माना जाएगा।
- भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक पेंशन विनियम, 2002 (जिसे आगे "प्रमुख विनियम" कहा जाएगा) के विनियम 15 में, उप-विनियम (1) में, खंड (ख) में, अंक "375/-" को, अंक "3500/-" से प्रतिस्थापित किया जाएगा।
- प्रमुख विनियमों के विनियम 16 में, दूसरे पैराग्राफ में, अंक "375/-" को, अंक "3500/-" से प्रतिस्थापित किया जाएगा।
- प्रमुख विनियमों के विनियम 36 में, उप-विनियम (2) में, अंक "375/-" को, अंक "3500/-" से प्रतिस्थापित किया जाएगा।
- प्रमुख विनियमों के विनियम 37 में, अंक "375/-" को अंक "3500/-" से प्रतिस्थापित किया जाएगा।
- प्रमुख विनियमों के विनियम 41 में, उप-विनियम (5) को निम्नलिखित उप-विनियम से प्रतिस्थापित किया जाएगा: -

"(5) पारिवारिक पेंशन की साधारण दर वेतन का तीस प्रतिशत होगी, किंतु यह न्यूनतम रु.9,000/- (नौ हजार रुपये मात्र) प्रति माह और अधिकतम बैंक में प्रति माह उच्चतम वेतन के तीस प्रतिशत के अधीन होगी।"

7. प्रमुख विनियमों के विनियम 41 के बाद, निम्नलिखित विनियम शामिल किया जाएगा: -

"42. पेंशनभोगियों की मूल पेंशन

31 अक्टूबर, 2017 को या उससे पहले सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारियों की मूल पेंशन को, 6 फरवरी, 2026 से, नीचे दी गई तालिका में उल्लिखित दर से आनुमानिक रूप से बढ़ाया जाता है: -

| क्रम संख्या | सेवानिवृत्ति की तारीख के अनुसार पेंशनभोगी की श्रेणी | पुनरीक्षित पेंशन के निर्धारण के लिए गुणांक |
|-------------|--|---|
| i. | 01.11.2002 से पहले सेवानिवृत्त हुए पेंशनभोगी (क) 02.04.1990 से 31.10.1992 (ख) 01.11.1992 से 31.10.1997 (ग) 01.11.1997 से 31.10.2002 | मौजूदा मूल पेंशन को 5.92 के गुणांक से पुनरीक्षित किया जाएगा, अर्थात्, रु.100/- की मौजूदा मूल पेंशन को पुनरीक्षित कर रु.592/- की मूल पेंशन किया जाएगा। |
| ii. | 01.11.2002 से 31.10.2007 तक सेवानिवृत्त हुए पेंशनभोगी | मौजूदा मूल पेंशन को 3.98 के गुणांक से पुनरीक्षित किया जाएगा, अर्थात्, रु.100/- की मौजूदा मूल पेंशन को पुनरीक्षित कर रु.398/- की मूल पेंशन किया जाएगा। |
| iii. | 01.11.2007 से 31.10.2012 तक सेवानिवृत्त हुए पेंशनभोगी | मौजूदा मूल पेंशन को 2.87 के गुणांक से पुनरीक्षित किया जाएगा, अर्थात्, रु.100/- की मौजूदा मूल पेंशन को पुनरीक्षित कर रु.287/- की मूल पेंशन किया जाएगा। |
| iv. | 01.11.2012 से 31.10.2017 तक सेवानिवृत्त हुए पेंशनभोगी | मौजूदा मूल पेंशन को 1.63 के गुणांक से पुनरीक्षित किया जाएगा, अर्थात्, रु.100/- की मौजूदा मूल पेंशन को पुनरीक्षित कर रु.163/- की मूल पेंशन किया जाएगा। |

नोट: वास्तविक लाभ 6 फरवरी, 2026 से देय होंगे और इस तिथि से पहले की अवधि के लिए बकाया(एरियर्स) का भुगतान नहीं किया जाएगा।

संदीप वर्मा, मुख्य महाप्रबंधक

[विज्ञापन-III/4/असा./738/2025-26]

प्रमाणित किया जाता है कि भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक के निदेशक मंडल ने 06 फरवरी, 2026 को नई दिल्ली में आयोजित अपनी बैठक में भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक पेंशन [संशोधन] विनियम, 2026 को अनुमोदित और अंगीकृत किया था।

हिमांशु राजेंद्र अस्थाना, महाप्रबंधक

SMALL INDUSTRIES DEVELOPMENT BANK OF INDIA

NOTIFICATION

Lucknow, the 2nd March, 2026

“Small Industries Development Bank of India Pension [Amendment] Regulations, 2026”

HRDV No. 02112 /Staff—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 52 of the Small Industries Development Bank of India Act, 1989 (39 of 1989), the Board of Directors of the Small Industries Development Bank of India hereby amends the Small Industries Development Bank of India Pension Regulations, 2002, as follows, namely:—

- (1) These Regulations may be called the Small Industries Development Bank of India Pension [Amendment] Regulations, 2026.

(2) These Amendments shall be deemed to have come into force on 6th February, 2026.

2. In regulation 15 of the Small Industries Development Bank of India Pension Regulations, 2002 (hereinafter referred to as “the Principal Regulations”), in the sub-regulation (1), in clause (b), for the figures “375/-”, the figures “3500/-” shall be substituted.
3. In regulation 16 of the Principal Regulations, in *second* paragraph, for the figures “375/-”, the figures “3500/-” shall be substituted.
4. In regulation 36 of the Principal Regulations, in the sub-regulation (2), for the figures “375/-”, the figures “3500/-” shall be substituted.
5. In regulation 37 of the Principal Regulations, for the figures “375/-”, the figures “3500/-” shall be substituted.
6. In regulation 41 of the Principal Regulations, for sub-regulation (5), the following sub-regulation shall be substituted, namely:—

“(5) The ordinary rate of family pension shall be thirty percent of the Pay, subject to a minimum of Rs.9,000/- (Rupees Nine Thousand only) per month and a maximum of thirty percent of highest pay per month in the Bank.”

7. After regulation 41 of the Principal Regulations, the following regulation shall be inserted, namely:—

“42. Basic pension of pensioners

With effect from 6th February, 2026, the basic pension of the employees retired on or before 31st October, 2017 is notionally increased at the rate as mentioned in the table below, namely:—

| Sr. No. | Category of Pensioner according to date of retirement | Multiplication factor for fixation of revised pension |
|---------|---|---|
| i. | Pre 01.11.2002 retirees (a) 02.04.1990 to 31.10.1992 (b) 01.11.1992 to 31.10.1997 (c) 01.11.1997 to 31.10.2002 | Existing basic pension will be revised by a factor of 5.92, i.e., the existing basic pension of ₹100/- will be revised to basic pension of ₹ 592/-. |
| ii. | Pensioners retired from 01.11.2002 to 31.10.2007 | Existing basic pension will be revised by a factor of 3.98, i.e., the existing basic pension of ₹100/- will be revised to basic pension of ₹ 398/-. |
| iii. | Pensioners retired from 01.11.2007 to 31.10.2012 | Existing basic pension will be revised by a factor of 2.87, i.e., the existing basic pension of ₹100/- will be revised to basic pension of ₹ 287/-. |
| iv. | Pensioners retired from 01.11.2012 to 31.10.2017 | Existing basic pension will be revised by a factor of 1.63, i.e., the existing basic pension of ₹100/- will be revised to basic pension of ₹163/-. |

Note : Actual benefits shall be payable from 6th February, 2026, without payment of arrears for the period falling before this date

SANDEEP VARMA, Chief General Manager
[ADVT.-III/4/Exty./738/2025-26]

Certified that the Board of Directors of Small Industries Development Bank of India in its meeting held on 06th February, 2026 at New Delhi had approved and adopted the Small Industries Development Bank of India Pension [Amendment] Regulations, 2026.

HIMANSHU RAJENDRA ASTHANA, General Manager